

कार्यालय
कार्यपालक अभियन्ता (याँत्रिक)
सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, दरभंगा ।
ecmech.wrddarbhang@gmail.com

पत्रांक:- 728

दरभंगा / दिनांक :- 03.07.2026

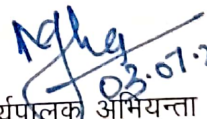
भाडे पर वाहन आपूर्ति हेतु अति-अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या 08/2026-27

कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, दरभंगा के परिक्षेत्राधीन चल रहे कार्यों की गुणवत्ता जाँच, कार्यस्थल निरीक्षण एवं नमूना संग्रह के लिए सहायक अभियन्ता हेतु भाडे पर (बोलेरो/सुमो/स्कार्पियो) समकक्ष के वित्तीय वर्ष 2026-27 में निर्धारित कार्यान्वित अवधि में परिचालन के लिए इच्छुक वाहन मालिकों/फार्म से अति-अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	वाहन उपयोग करने वाले पदाधिकारी का नाम	गाड़ी परिचालन का कार्यान्वित अवधि	गाड़ी की संख्या	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
01	सहायक अभियन्ता के उपयोग हेतु	एकरारनामा की तिथि से 31.03.2027 तक	01	
02	सहायक अभियन्ता के उपयोग हेतु	एकरारनामा की तिथि से 31.10.2026 तक	01	

- कोटेशन निर्गत करने की तिथि :- दिनांक- 03.07.2026
- विज्ञापनदाता का पदनाम :- कार्यपालक अभियन्ता (याँत्रिक),
सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल दरभंगा।
- कोटेशन जमा करने की तिथि एवं समय :- दिनांक 16.07.2026 को 3:00 बजे अपराह्न तक।
- कोटेशन प्राप्त करने का स्थान :- सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल दरभंगा।
- कोटेशन खोलने की तिथि, स्थान एवं समय :- दिनांक 16.07.2026 को अपराह्न 3:30 बजे
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में


03.07.26
कार्यपालक अभियन्ता
सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल,
दरभंगा

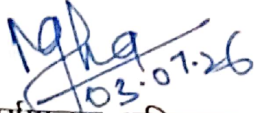
कोटेशन के नियम एवं शर्तें

6. वाहन का वैध निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र बीमा, रोड टैक्स, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं फिटनेस प्रमाण पत्र अद्यतन कोटेशन के साथ समर्पित करना आवश्यक है।
7. वाहन मालिक का आधार कार्ड, जी०एस०टी०, पैन कोटेशन के साथ समर्पित की जाय।
8. क्र०सं०-01 में उल्लेखित भाडे पर वाहन एकरारनामा की तिथि से 31.03.2027 तक लिया जायेगा।
9. वाहन अच्छे हालत में होना चाहिए।
10. वाहन का दैनिक रख-रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मत, तैलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी दैनिक साफ-सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक / फर्म द्वारा किया जायेगा।
11. नियमानुकूल सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क अदेयता (टोल टैक्स को छोड़कर) की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
12. वाहन का कागजात टैक्स, बीमा आदि मोटरयान अधिनियम के अनुसार अद्यतन होना चाहिए। वाहन निबंधन व्यवसायिक होना बाध्यकारी है।
13. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध व्यवसायिक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
14. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक / फर्म की होगी।
15. वाहन के उपयोग के विरुद्ध मासिक किराया इंधन रहित देय होगा। विभाग से आवंटन उपलब्ध होने के पश्चात ही मासिक किराया का भुगतान किया जाएगा। वाहन का उपयोग के लिए लॉगबुक का संधारण वाहन चालक की जवाबदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंध आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर वाहन का मासिक किराया ईंधन रहित भुगतान किया जायेगा।
16. मासिक न्यूनतम दर दरभंगा समाहरणालय, दरभंगा जिला नजारत शाखा के ज्ञापांक दिनांक 23.02.2026 द्वारा निर्धारित 27,000.00 रुपये के बराबर या न्यूनतम कोटेशन दाता के साथ रु० 1000.00 (एक हजार) मात्र के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना कारण बताए एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। साथ ही आवश्यकतानुसार / आवंटन के अनुरूप भाडे के निरीक्षण वाहनों का एकरारनामा कराया जायेगा। आवश्यकतानुसार निरीक्षण वाहनों की संख्या घट / बढ़ सकती है।
17. वाहन का वैध निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र बीमा रोड टैक्स एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं फिटनेस प्रमाण पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा।
18. आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग दिन एवं रात्रि समय में होता है। अतः इस हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क / किराया देय नहीं होगा।
19. वाहन का उपयोग वाहन मालिक / वाहन आपूर्तिकर्ता निजी अथवा अन्य व्यवसायिक उपयोग में नहीं करेगी।
20. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक / फर्म का दायित्व होगा कि तुरन्त दूसरा वाहन उपलब्ध करायेगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस दिन भाड़े का भुगतान में से दो गुणा दर से कटौती कर ली जायेगी।

W

21. कोटेशन कभी भी बिना कारण बताये अद्योहस्ताक्षरी द्वारा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
22. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार सभी करों की कटौती के पश्चात् भुगतान की जायेगी।
23. अगर सेवा संतोषजनक रहा तो अगले वित्तीय वर्ष में भी सेवा ली जा सकती है।
24. वाहन मालिक / सेवा प्रदाता वाहन से संबंधित सभी प्रकार के करों अर्थात् GST, Income Tax इत्यादि के भुगतान की देयता स्वयं करना होगा। विभाग / कार्यालय द्वारा मात्र वाहन के उपयोग के विरुद्ध निमित्त मासिक दर से ईंधन रहित भुगतान होगा।
25. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये ईंधन अथवा 10 कि०मी० प्रति लीटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।
26. आवश्यकतानुसार वाहन मुख्यालय से बाहर भी जा सकता है एवं वहां रह भी सकता है उक्त किसी प्रकार का अतिरिक्त राशि के भुगतान का दावा मान्य नहीं होगा।

इच्छुक वाहन मालिक / फर्म उक्त क्रमांक 06 से 26 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) के साथ समर्पित करेंगे। एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर वैध कोटेशन दाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक / फर्म का चयन किया जायेगा। शपथ पत्र एवं वांछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।


03.07.26
कार्यपालक अभियन्ता
सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल,
दरभंगा